भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1398

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

विचारणाधीन कैदियों के लिए नए कानून की जरूरत

1398 श्री नारायण दास गुप्ता :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश की जेलों में बंद विचाराणाधीन कैदियों की संख्या का आकलन मौजूद है ;

(ख) क्या देश में जमानत देने की सुविधा प्रदान करने के लिए नए कानून की आवश्यकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाव दिया गया है ;

(ग) क्या आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर कम होने के कारण नए कानून की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो कानूनी संदर्भ में कानूनी कार्यवाहियों के निपटान की गति में तेजी लाने के लिए क्या किया जा सकता है ; और

(घ) क्या छोटे-मोटे अपराधों के मामलों में की गई गिरफ्तारी और निरोध के लिए समय-सीमा निर्धारित करके इसे विनियमित किया जा सकता है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरौ (एनसीआरवी) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा रिपोर्ट किए गए कारागार सांख्यिकी को संकलित करता है और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन "कारागार सांख्यिकी भारत" में प्रकाशित करता है । नवीनत्म प्रकाशित रिपोर्ट 2020 की है । तारीख 31 दिसम्बर, 2020 तक 371848 विचाराधीन कैदी देश के कारागारों में बंद है ।

(ख) से (घ) : गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, विभाग-संबंधित गृह मामलों की संसदीय समिति ने तारीख 23.06.20210 की 146वीं अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि देश की दांडिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की

आवश्यकता है । संसदीय स्थाई समिति ने पूर्वतर में भी अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में संबंधित अधिनियमों में छोटे-छोटे संशोधन करने के बजाय संसद में एक व्यापक विधान पेश करके देश की दांड़िक विधि में सुधार करने और उसे तर्क संगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था । सरकार, दांड़िक विधि में सुधार करने और उसे तर्क संगत बनाने और संसद में व्यापक विधान पेश करने के संबंध में विभाग-संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

****